न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी सुकमा जिला–सुकमा (छ.ग.)

भू–अर्जन प्र.क्र. .01/अ–82/2014–15
ग्राम– गादीरास प.ह.नं.– 04
रा.नि.मं.– सुकमा तहसील– सुकमा
जिला– सुकमा (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, सुकमा
जिला – सुकमा (छ.ग.) .... आवेदक

विरूद्ध

ओयामी सोमड़ी एवं 49 अन्य कृषक
ग्राम – गादीरास तहसील सुकमा
जिला – सुकमा (छ.ग.) .... अनावेदकगण

(अन्तर्गत मलेन्जर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु, भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत)

अवार्ड – पारित

(अभिलिखित दिनांक 25/01/2017)

1. यह प्रकरण कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, सुकमा के पत्र क्रमांक/1084/तक./2013–14/भू–अर्जन/2014 दिनांक 5/8/2016 के द्वारा मलेन्जर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु ग्राम–गादीरास प.ह.नं. 04 तहसील सुकमा जिला–सुकमा की निजी भूमि कुल रकबा 30.54 एकड़ (12.491 हेक्टेयर) भूमि लोक हित में भू–अर्जन किये जाने का प्रस्ताव कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) सुकमा के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो पंजीयन पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, सुकमा द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की बी.1, खसरा पांच साला, नक्शा, मलेन्जर व्यपवर्तन योजना की प्लान शीट एवं शासन से प्राप्त पत्र की प्रति प्रस्तुत किया है। जल संसाधन संभाग सुकमा का प्रस्ताव प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत होने पर भू–अर्जन प्रकरण क्र. 01/अ – 82/2014–15 पंजीबद्ध किया गया।

2. मलेन्जर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य में प्रभावित कृषको की सख्या 50 है प्रभावित रकबा 12.491 हे. है। सभी कृषक ग्राम गादीरास के है उक्त व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत आने वाले सभी भूमि भू–राजस्व संहिता के प्रावधान अनुसार अधिसूचित क्षेत्र अन्तर्गत होने के कारण उक्त कार्यवाही हेतु प्रस्तावित किये गये भूमि अधिग्रहण हेतु ग्राम सभा गादीरास का परामर्श दिनांक 10.12.2014 के अनुसार प्राप्त किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुकमा जिला–सुकमा (छ.ग.)

क्रमशः 1

Scanned by CamScanner

3. कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, सुकमा द्वारा अनुमानित 10 प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क रू. 40 लाख (चालीस लाख रूपये) चेक क्रमांक 581082 के माध्यम से दिनांक 12.08.2015 को भू–अर्जन अधिकारी जिला सुकमा के P.D. Account में जमा कराया गया है। इसी तरह 360 लाख (तीन सौ साठ लाख) रूपये चेक क्रमांक 850750 दिनांक 18.05.2016 की P.D.Account (भू–अर्जन अधिकारी जिला–सुकमा) में मुआवजा हेतु जमा कराया गया है।

4. प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अर्जित की जाने वाली कुल रकबा 12.491 हे. का भूमि–अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 11 की अधिसूचना छ.ग. राजपत्र भाग–1 एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु ज्ञापन जारी किया गया। अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र भाग–1 में दिनांक 01/05/2015 को प्रकाशित है। राजपत्र की प्रकाशित अधिसूचना की छायाप्रति प्रकरण में संलग्न है। स्थानीय समाचार पत्र "छतीसगढ़" में दिनांक 27.04.2015 .को एवं "हिन्दसत" में दिनांक 27.04.2015 को प्रकाशित है। दैनिक समाचार पत्र की प्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न है। संबधित ग्राम –गादीरास में दिनांक 25. 04.2015 को तहसीलदार सुकमा के माध्यम से ग्राम कोटवार के द्वारा मुनादी कराया गया है।

5. प्रकरण में धारा (11) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशन पश्चात नियत अवधि में हितबद्व कृषको के द्वारा कोई आक्षेप कलेक्टर जिला – सुकमा/ भू–अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रा. सुकमा/कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, सुकमा को प्राप्त नही है। कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग सुकमा के द्वारा पत्र क्र./189/तक. /भू–अर्जन/2016–17 सुकमा, दिनांक 21.06.2016 के माध्यम से दावा आपत्ति प्राप्त नही होने की जानकारी दी गई है, पत्र की प्रति संलग्न है।

6. भूमि–अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के प्रकाशन के पश्चात धारा 16 के तहत प्रभावित परिवारो, शासकीय परिसंपतियों तथा अधोरचनात्मक सुविधाओं का सर्वेक्षण एवं जनगणना प्रपत्र प्रारूप 1,2,3,4 प्राप्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभावित कृषक का वर्गवार स्थिति के अनुसार सीमांत कृषक, कुल धारित भूमि का 25% या उससे अधिक भूमि, लघु कृषक कुल धारित भूमि का 50% या उससे अधिक, बड़े कृषक कुल धारित भूमि का 75% या उससे अधिक भूमि प्रभावित नही होना अपने प्रपत्र में कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, सुकमा एवं राजस्व कर्मियों के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया तथा यह भी उल्लेख किया है कि अर्जित की जाने वाली भूमि से प्रभावित किसानो की आजीविका प्रभावित नही होगी, इस तरह प्रपत्र 1,2,3,4 एवं प्रपत्र 5,6,7,8 के आधार पर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्य योजना की आवश्यकता नही होने से कार्य योजना तैयार नही किया गया।

7. धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र भाग–1 में एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु ज्ञापन जारी किया गया। अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र भाग–1 क्र. पृष्ठ संख्या 1487 दिनांक 19.08.2016 को तथा दैनिक समाचार पत्र "तरूण छतीसगढ़" में दिनांक 30.08.2016 एवं "हाईवे चैनल" में दिनांक 30.08.2016 को प्रकाशित है तथा तहसीलदार सुकमा के माध्यम से ग्राम कोटवार के द्वारा मुनादी कराया गया है प्रकाशन प्रश्चात प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा कोई आक्षेप नही किया गया है ना ही आक्षेप प्राप्त है।

Scanned by CamScanner

8. प्रकरण में संबंधित प्रभावित हितबद्ध पक्षकार को भूमि–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत् व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 16/11/2016 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी की गई। उक्त निर्धारित तिथि को समक्ष सुनवाई के दौरान दो कृषक के द्वारा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण एवं निराकरण निम्नानुसार है :–

1. नागुल पाण्डु पिता साधु एवं अन्य चार निवासी गादीरास के द्वारा आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आपत्तिकर्ता नागुल पाण्डु के नाम पर खसरा नं 3321/5, 3261/1, रकबा 0.355 हे., 0.080 हे.में से 0.050 हे, 0.080 हे कुल रकबा 1.090 हे भूमि मलेन्जर व्यपवर्तन के भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित है, नागुल जोगा के नाम पर खसरा नं 1979, 326/5 रकबा 0.198 हे. ,0.103 हे में से 0.110 हे , 0.050 हे कुल रकबा 0.623 हे भूमि प्रस्तावित है नागुल काली सिंह के नाम पर खसरा नं 3261/2 रकबा 0.090 हे.भूमि प्रस्तावित है नागुल नागेश के नाम पर 3261/3 रकबा 0.075 हे भूमि प्रस्तावित है इसी तरह नागुल चम्पा पिता एन्डू के नाम पर रकबा 3.00 एकड़ कृषि भूमि राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक दर्ज है। उपरोक्त समस्त कृषि भूमि हमारी पैतृक भूमि है नागुल चम्पा पिता एन्डू के खाते की भूमि में 4 नग सागौन वृक्ष 1 नग साजा वृक्ष 2 नग महुआ इस तरह कुल 7 नग इमारती फलदार वृक्ष स्थित है मलेन्जर व्यपवर्तन में उक्त सभी वृक्षो की मुआवजा दिया जा रहा है जिसका हमे सयुक्त रूप से राशि मिले हमारी दावा है। आपत्ति आवेदन संलग्न है।

निराकरण: कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग सुकमा से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया अपने पत्र दिनांक 24.12..2016 में उल्लेख किया है कि प्रश्नाधिन 4 नग सागौन वृक्ष 1 नग साजा 2 नग महुआ कुल 7 नग इमारती एवं फलदार वृक्ष स्थित है वह भूमि नागुल चम्पा पिता एन्डू के खाते मे अंकित भूमि पर स्थित है इस कारण भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानो तहत भूमि स्वामी को ही राशि प्राप्त होगी अन्य को नही। इस संबंध में राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक गादीरास, ह. पटवारी गादीरास तहसीलदार सुकमा से जानकारी लिया गया उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त वृक्ष नागुल चम्पा पिता एन्डू के खाता क्र. 214 में खसरा न. 3261/4 में रकबा 0.080 हे.पर स्थित है इस कारण राशि भूमि स्वामी को दिया जाना उचित होगा।

इस संबध में आपत्तिकर्तागण, नागुल पाण्डू एवं अन्य 4 जल संसाधन विभाग , राजस्व विभाग के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जांच प्रतिवेदन का परीक्षण उपरान्त आपत्ति आवेदन का निराकरण इस प्रकार किया जाता है 4 नग सागौन 1 नग साजा 2 नग महुआ वृक्ष नागुल चम्पा पिता एन्डू के नाम पर दर्ज भूमि में स्थित है इस कारण वृक्षो की मुआवजा राशि भूमि स्वामी नागुल चम्पा पिता एन्डू को दिया जायेगा जिसकी गणना पत्रक 1 ग में निर्धारण किया जायेगा। तद्अनुसार आपत्ति का निराकरण किया जाता है।

2. श्री बी.आर पोटला कृषक गादीरास द्वारा आपत्ति आवेदन पेश किया कि ग्राम गादीरास में 50 कृषको की भूमि लगभग 12.491 हे. भूमि अधिग्रहण में ली जा रही है जिसका सही सीमांकन कर दिखाई जावे अधिग्रहित भूमि के बदले अन्यत्र शासकीय भूमि दी जावे, पेड़ो का भी मुआवजा दी जावे, प्रभावित किसानो को बाजार दर से उच्च दर पर मुआवजा निर्धारण की जानकारी दी जावे, प्रभावित किसान/खातेदारो के परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जावे, आपत्ति आवेदन संलग्न हैं ।

निराकरण: कार्यपालन अभियंता जल संसाधन सभाग सुकमा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 24.12.2016 के अनुसार ग्राम गादीरास की प्रस्तावित भूमि रकबा 12.491 हे. भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक,ह.प. की उपस्थिति मे किया जाकर आपत्तिकर्तागणो को प्रस्तावित भूमि की सीमा से अवगत करा दिया गया है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार भूमि के बदले भूमि नही दिया जा सकता। मलेन्जर व्यपवर्तन योजना के तहत उच्चतम दर पर जो कलेक्टर गाईड लाईन,

क्रमशः 3

Scanned by CamScanner

बिक्री दर, पुनर्वास नीति 2007 के तहत औद्योगिक दर जो ज्यादा हो दिया जावेगा। इस अधिनियम के तहत व्यपवर्तन योजना में प्रभावित परिवार के 1 सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान नही है तथा मलेन्जर व्यपवर्तन योजना की प्लानशीट नक्शा प्रभावितो को अवलोकन कराया गया, तथा मांग अनुसार योजनान्तर्गत अधिग्रहित भूमि के नक्शे का 1 प्रति आपत्ति कर्ता को उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्तानुसार आपत्तिकर्ता श्री बी.आर पोटला निवासी गादीरास के आपत्ति आवेदन का निराकरण के संबंध मे कार्यपालन अभियंता जल ससाधन सभाग, सुकमा एवं तहसीलदार सुकमा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आपत्तिकार्ता को अधिग्रहित भूमि का सीमांकन कराया जाकर अवगत करा दिया गया है अधिग्रहित भूमि के बदले अन्यत्र शासकीय भूमि नही दिया जा सकता है भूमि के बदले मुआवजा नियमानुसार देय होगी, वृक्षो का मुआवजा दिया जा रहा है तथा बाजार दर से उच्चतम मुआवजा का निर्धारण किया गया है। प्रभावित किसानो/खातेदार के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान नही है तथा मांग अनुरूप प्रभावित व्यक्तियों को अधिग्रहित भमि का नक्शा उपलब्ध करा दिया गया है तदनुसार आपत्ति आवेदन का निराकरण किया गया है।

9. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सुकमा के पत्र क्रमांक 1080/तक./2013–14/भ–अर्जन 2014 दिनांक 5.8.2013 के द्वारा मलेंजर व्यपवर्तन योजना के तहत् मुख्य नहर निर्माण हेतु ग्राम गादीरास की कुल खसरा नं. 80 रकबा 30.54 एकड/12.491 हे0 भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव के आधार पर धारा 11 का प्रकाशन कराया गया था।

भू–अर्जन अधिनियम की धारा 20 के तहत् भूमि का चिन्हांकन व सीमांकन कराये जाने तथा बी–1 नक्शा खसरा का स्थल मिलान करने पर प्रभावित रकबा 12.491 हे0 में से खसरा नं. 3414/9 में रकबा 0.060 हे0 प्रस्तावित था, सत्यापन में 0.050 हे0 प्रभावित रकबा पाया गया। इसी तरह खसरा नं. 3447/3 में प्रस्तावित रकबा 0.102 हे0 था, सत्यापन में बी–1 के अनुसार 0. 101 हे0 पाया गया। इसी तरह खसरा नं. 3375/2 रकबा 0.120 हे0 को निजी अंकित कर अर्जन हेतु प्रस्तावित था, जो सत्यापन में शासकीय भूमि पाया गया। इस तरह कुल रकबा 0.131 हे. प्रभावित नहीं होने के कारण भू–अर्जन हेतु अर्जित भूमि की प्रस्तावित भूमि के रकबा 12.491 हे0 में से रकबा 0.131 हे0 कम करने पर वास्तविक रकबा 12.360 हे0 भूमि का मुआवजा निर्धारण किया गया है।

10. प्रकरण में अधिसूचनाओ का प्रकाशन पूर्ण किया जाकर तथा प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण किया जाकर अग्रेतर कार्यवाही में अधिग्रहित भूमि की मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही की जानी है, मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानो के तहत छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजपत्र दिनांक 4 दिसंबर 2014 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ–4–28/सात–1/2014 जिसमें बाजार मूल्य एवं पुनर्वास नीति का दर जो अधिकतम है अनुक्रम में एवं छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबधंन विभाग के पत्र क्रं. एफ–4–28/सात–1/ 2015 नया रायपुर दिनांक 10 मार्च 2016 जिसमे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना कमाकं 425 (अ) दिनांक 9 फरवरी 2016 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम की धारा 30 उप धारा 2 एवं 3 के तहत् शक्तियो का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार मुआवजा निर्धारण किया जाना है।

क्रमशः 4

Scanned by CamScanner

मुआवजा निर्धारण प्रक्रिया–

(i) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार–

क– प्रचलित गाईड लाईन दर अथवा

ख– विगत तीन वर्षो के औसत खरीद बिक्री (बिक्री छांट) दर में से जो भी अधिक हो के अनुसार किया जाकर 100% सोलेशियम एवं ब्याज 12.% वार्षिक की दर से गणना की गई।

(ii) तदपश्चात राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (यथासंशोधित) के तारतम्य में क्रमशः पड़त भूमि 6 लाख रू प्रति एकड़,असिंचित (एक फसली) भूमि हेतु 8 लाख रू प्रति एकड़ एवं सिंचित (दो फसली) भूमि हेतु 10 लाख रू प्रति एकड़ की दर से गणना की गई

उक्त (i) एवं (ii) में से जो भी अधिक है वह मुआवजा उस भूमि के संबंध में देय होगा।

अधिग्रहित भूमि का विवरणः–

पड़त भूमि	– निरंक
एक फसली असिंचित भूमि	– 12.72 एकड़/5.148 हे.
दो फसली सिंचित भूमि	– 17.82 एकड़/7.212 हे.
योग	**– 30.54 एकड/12.360 हे.**

(अ) गाईड लाईन एवं औसत विक्रय (बिक्री छांट) दर के आधार पर

1 **इस प्रकार भूमि की गणना का विवरण निम्नानुसार है**

भूमि का प्रकार	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि	कुल
गाईड लाईन दर	215408.00	142181.00	
योगः–	215408.00	142181.00	
अर्जित रकबा हे. में	7.212	5.148	12.360
एकड़ में	17.82	12.72	30.54
मुआवजा	1553522	731945	2285467
सोलेशियम राशि	1553522	731945	2285467
ब्याज राशि (9 माह का)	139820	65877	205697
योग :–			**4776631**

2. **परिसम्पत्ति की गणनाः–**

क्रमांक	संम्पति का प्रकार	संख्या	मुआवजा	सोलेशियम	ब्याज	कुल
1	मकान	3	544752	544752	49029	1138533
2	कुआ	1	70000	70000	6300	146300

3. **भूमि पर स्थित वृक्षो की गणनाः–**

क्रमांक	संम्पति का प्रकार	संख्या	मुआवजा	सोलेशियम	ब्याज	कुल
1	वृक्ष	1072	3061836	3061836	275566	6399238

योगः–122,75575,00

(ब) बिक्री छांट तीन वर्ष के आधार पर – ग्राम गादीरास मे विगत तीन वर्षो मे कोई भूमि विक्रय/क्रय नही हुआ है अतएव गणना निरंक है।

क्रमशः5

Scanned by CamScanner

(स) पुनर्वास नीति 2007 (यथासंशोधित) के तहत

भूमि का प्रकार	पड़त भूमि	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि	कुल
पुनर्वास नीति के तहत	निरंक	17810000	10184000	27994000

परिसम्पत्ति की गणना:–

क्रमांक	संम्पति का प्रकार	संख्या	मुआवजा	सोलेशियम	ब्याज	कुल
1	मकान	3	544752	544752	49029	1138533
2	कुआ	1	70000	70000	6300	146300

भूमि पर स्थित वृक्षो की गणना:–

क्रमांक	संम्पति का प्रकार	संख्या	मुआवजा	सोलेशियम	ब्याज	कुल
1	वृक्ष	1072	3061836	3061836	275566	6399238

योग:– 35678071.00

11. उपरोक्तानुसार ग्राम गादीरास की निजी भूमि रकबा 12.360 हे/30.54 एकड़ का मुआवजा राशि जो कण्डिका 10 की (अ) (ब) एवं (स) के गणनापत्रक में से जो भी अधिक है वह मुआवजा उस भूमि के संबध में देय होगा के अनुसार निर्धारण करने पर छ.ग. पुनर्वास नीति 2007 (यथासंशोधन) के अनुसार मुआवजा राशि 35678071,00 रू. (तीन करोड़, छप्पन लाख, अठत्तर हजार, इकहत्तर रूपये) का अवार्ड आदेश मय पत्रक भाग–1 (क), भाग –1 (ख), भाग–1 (ग), भाग–1 (घ) तैयार कर सर्व संबंधित अधिकारियो से हस्ताक्षर लेते हुये मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर प्रकरण में संलग्न है को अवार्ड आदेश के अंश के रूप में पढ़ा जावे।

12. भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार अधिनियम की धारा 24 से 39 के अन्तर्गत कलेक्टर की शक्तियों के निर्वहन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (रा0) /भू–अर्जन अधिकारी सुकमा को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत भू–अर्जन से संबंधित मामलो को निपटाने के लिए अधिकृत किया गया है जिसके परिपालन में नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 33 के अन्तर्गत लिपिकीय एवं अंकगणितीय त्रुटियों के परिमार्जन के अधिकार सुरक्षित रखते हुए भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एंव पादर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

25/1/17

(जे.आर.चौरसिया)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी सुकमा
जिला सुकमा (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सुकमा
पृ.क्र. 166 /अ.वि.अ.(रा.)भू-अर्जन/ सुकमा दि 28/1/2017
मुख्य कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग सुकमा को अवार्ड आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

28/1/17
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सुकमा

Scanned by CamScanner